

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2012

सा.का.पि. 98(अ).—केंद्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवा नियम, 1951 (1951 का 61) का। घारा 3 की उपचारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी संस्थाएँ ने पश्चात् करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 का और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) सशोधन नियम, 2011 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में,
(क) नियम 3 के उपनियम (2) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) भारतीय पुलिस सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 2011 के अनुसार सेवा के लिए भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को सेवा में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा”;

- (ख) नियम 5 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, लौस बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, सरदार बलभट्टाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में या राज्य प्रशिक्षण संस्था में या देश के किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :

परंतु जहाँ कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, वस्त्रालिखि, परिवीक्षा अवधि में या परिवीक्षा की विस्तृति अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है वहाँ उसे मूल काले में उसके अधिकारी पद पर प्रतिवर्द्धित कर दिया जाएगा ।”

(ग) नियम 10 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) कोट्रीय सरकार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के साथ्यम से भर्ती ऐसी सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को सूची रखने करती, जिनका वही आबंटन वर्ष निर्धारित किया गया है जो भारतीय पुस्तक सेवा (प्रोफेटा विश्वास) नियम, 1988 के नियम 3 में उपलब्धि है । ऐसी सूची ऐसी वीडियो को ज्ञान में उपलब्धि की जाएगी जो प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वायः—

- (i) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में;
- (ii) लाल बहादुर साहबी वायोप्रशासित व्यवस्थाएः में और सरदार चल्लमभाई घटेल राष्ट्रीय पुस्तक अकादमी के या यात्रा विभाग तंस्था में या देश के किसी अन्य भार्यताप्राप्त प्रशिक्षण व्यवस्था में, उसके वही अवधि के अभिलेख के संबंध में, जो कोट्रीय सरकार आवासक समझे ; और
- (iii) अंतिम परीक्षा में,

अभिभावक कुल अंकों के अनुसार अवधारित वी जाएगी ।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को शीघ्र में ज्ञान, जिनका समान आबंटन वर्ष है, उपनियम (3) के अधीन देश की सभी सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी और ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को विभक्ति प्राप्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार नियुक्ति की गई है, उन से कमर स्थान दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति प्राप्तवार्ती प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप की गई है ।

(घ) नियम 13 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4) नियम 3 के उपनियम (2) के छंड (ii) में लिखित किसी व्यक्ति का वेतन 5400/- रुपौ वेतन के साथ बहान दूड़-उ (1500/-+39100/-) में कोनिष्ठ वेतनमान के न्यूचलन पर नियत किया पाएगा और उसके बाये उसके पूर्वतम पद पर लिया जा रहा वास्तविक वेतन को वैयक्तिक वेतन के ज्ञान में माना जाएगा और उसके वेतन में, उसके वैयक्तिक वेतन के समतुल्य सभी तत्त्व वृद्धि होते ही वह बदायत हो जाएगा ।”

[क्र. सं. 13018/3/2010-एमाईएस-(1) (पो.टी. II)]

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 6) में सा०का०नि० सं० 152(अ), तारीख 8 सितंबर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा०का०नि० सं० 76, तारीख 20 जनवरी, 1962, सा०का०नि० सं० 184, तारीख 2 फरवरी, 1963, सा०का०नि० सं० 1184, तारीख 22 अगस्त, 1964, सा०का०नि० सं० 67, तारीख 21 जनवरी, 1967, सा०का०नि० सं० 102, तारीख 28 जनवरी, 1967, सा०का०नि० सं० 945, तारीख 24 जून, 1967, सा०का०नि० सं० 1426, तारीख 3 अगस्त, 1968, सा०का०नि० सं० 1704, तारीख 21 सितंबर, 1967, सा०का०नि० सं० 1362, तारीख 26 अक्टूबर, 1968, सा०का०नि० सं० 1217, तारीख 24 मई, 1969, सा०का०नि० सं० 1406, तारीख 23 अगस्त, 1969, सा०का०नि० सं० 1248, तारीख 7 अक्टूबर, 1972, सा०का०नि० सं० 387, तारीख 1 अप्रैल, 1972, सा०का०नि० सं० 471, तारीख 18 मई, 1972, सा०का०नि० सं० 53, तारीख 16 जनवरी, 1975, सा०का०नि० सं० 156, तारीख 7 फरवरी, 1976, सा०का०नि० सं० 1360, तारीख 25 सितंबर, 1976, सा०का०नि० सं० 904, तारीख 26 जून, 1976, सा०का०नि० सं० 1019, तारीख 17 जुलाई, 1976, सा०का०नि० सं० 1305, तारीख 27 दिसंबर, 1980, सा०का०नि० सं० 454, तारीख 8 मई, 1981, सा०का०नि० सं० 554, तारीख 30 जुलाई, 1983, सा०का०नि० सं० 653, तारीख 23 जून, 1989, सा०का०नि० सं० 54, तारीख 12 जनवरी, 1994 और सा०का०नि० सं० 356, तारीख 14 सितंबर, 2002 द्वारा संशोधन किया गया।